पंजीकृत/स्पीड पोस्ट
संख्याः 28/XXXVIII/2019/56/2011

प्रेषक,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः देहरादूनः दिनॉकः 30 जनवरी, 2019

विषयः–उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) के ग्राम डांडा लखौण्ड़ मे प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–यू–सैक/भवन/2012/326/2018/383 दिनांक 03 दिसंबर 2018 के कम में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) के ग्राम डांडा लखौण्ड में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत आंगणन रू0 494.45 लाख के सापेक्ष मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–23, आयोजनागत (मतदेय) लेखाशीर्षक 4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय, 02– इलेक्ट्रोनिक, 800–अन्य व्यय, 11–उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) का भवन निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मतदेय में प्रावधानित धनराशि रू 200.00 लाख में से अवशेष धनराशि **रू 100,00,000.00(रू एक करोड़ मात्र)** की धनराशि सम्बन्धित कम्प्यूटर आई0 डी0 सहित आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित आगणन ही अनुमन्य होगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्वि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक व्यय पर अनुबन्ध अथवा निर्माण के किसी भी मद में स्वीकृत मदों से अतिरिक्त व्यय किये जाने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
2. संस्था एवं कार्यदायी संस्था के मध्य सम्पादित एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्माण कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समस्त तकनीकी एवं प्रशासकीय औपचारिकताओं के निर्वहन का दायित्व निदेशक यू–सैक उत्तराखण्ड का होगा। अतः कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निर्माण से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार पूर्व निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए किश्तों में अवमुक्त की जाय। कार्यदायी संस्था से कृत औपचारिकताओं की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्त निर्माण हेतु आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई, व्यय उन्ही मदों में सुनिश्चित किया जाय। एक मद की धनराशि का दूसरी मद में कदापि व्यय नहीं किया जाय। कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

क्रमशः2

Scanned by CamScanner

6. उक्त निर्माण के किसी भी पक्ष के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल–2012), मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XVI–219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत निर्देश, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3/(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में निर्गत निर्देशों तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. भवन निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार एवं संस्था के पी0एल0ए0 खाते के माध्यम से आहरित एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित किसी भी पक्ष को भुगतान के सम्बन्ध में DBT के संगत आदेशों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उक्त मद में अवशेष धनराशि का नियमानुसार समर्पण शासन को किया जाय।
8. इस सम्बन्ध में किया जाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–23, आयोजनागत (मतदेय) लेखाशीर्षक 4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय, 02– इलेक्ट्रोनिक, 800–अन्य व्यय, 11–उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) का भवन निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान लेखाशीर्षक मद के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3/(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में निर्गत निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–ॲलाटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्याः 28 /XXXVIII/2019–56/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. अपर सचिव, वित्त–बजट, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक,(सिविल), गढवाल, ब्रिडकुल देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner